न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 137/2017 **दायरा दिनांक : 06.10.2017**

उनवान

1— मांगीलाल आयु 45 वर्ष पुत्र स्वर्गीय श्री नाथू, जाति नट, निवासी ग्राम रूणजी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

2— जोनी आयु 40 वर्ष पुत्र स्वर्गीय श्री नाथू, जाति नट, निवासी ग्राम रूणजी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

3— श्रीमती कैलाश बाई आयु 55 वर्ष पुत्री स्वर्गीय श्री नाथू, जाति नट, निवासी ग्राम रूणजी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

4— श्रीमती बसन्ती बाई आयु 52 वर्ष पुत्री स्वर्गीय श्री नाथू, जाति नट, निवासी ग्राम रूणजी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

5— श्रीमती प्रेम बाई आयु 47 वर्ष पुत्री स्वर्गीय श्री नाथू, जाति नट, निवासी ग्राम रूणजी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

6— श्रीमती शांति बाई आयु 73 वर्ष बेवा स्वर्गीय श्री नाथू, जाति नट, निवासी ग्राम रूणजी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— श्री एहसान आत्मज स्वर्गीय श्री रतन, जाति नट, निवासी ग्राम रूणजी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

2— श्री रशीद आत्मज स्वर्गीय श्री रतन, जाति नट, निवासी ग्राम रूणजी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

3— श्री राजेश आत्मज स्वर्गीय श्री राजू, जाति नट, निवासी ग्राम रूणजी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

4— श्री रोशन आत्मज स्वर्गीय श्री बापू, जाति नट, निवासी ग्राम रूणजी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

5— श्रीमती ललताबाई पुत्री स्वर्गीय श्री बापू, जाति नट, निवासी ग्राम रूणजी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

6— श्रीमती हसीना पुत्री स्वर्गीय श्री बापू, जाति नट, निवासी ग्राम रूणजी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

7— श्रीमती सज्जनबाई बेवा स्वर्गीय श्री बापू, जाति नट, निवासी ग्राम रूणजी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

8— लक्ष्मीनारायण आत्मज रामचन्द्र मेहर, निवासी सुकेत, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा

9— श्रीमती गंगाबाई पत्नी जगदीश कुमार बैरवा, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

10— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपहाड़ जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री सतीश चन्द गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बच्चू लाल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 21.10.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या — 106/दावा/2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने रेस्पोडेंट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत दावा प्रस्तुत किया जिसमें रेस्पोडेंट की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ । अपीलांट ने अपने वाद के

समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत किये थे जिनका अधीनस्थ न्यायालय ने कोई अवलोकन नहीं किया । रेस्पोडेंट द्वारा दिनांक 03.11.2016 को एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 व 151 सी पी सी के तहत प्रस्तुत किया गया जिसका विस्तृत जवाब अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायेालय में प्रस्तुत किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का पक्ष सुने बगैर रेस्पोडेंट्स की उपस्थिति में राजस्व अभियान केम्प में दावा खारिज कर दिया, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, विधान व तथ्यों के प्रतिकूल होनें से निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की पालना नहीं की है । प्रकरण में जवाबदावा भी पेश नहीं हुआ है और न ही गवाह के बयान नहीं लिये हैं । जल्दबाजी में निर्णय कर कानूनी भूल की है । अपीलांट वादी द्वारा वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया है । अपीलांट के अपने वाद महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू उठाये गये थे उसके सम्बन्ध में कोई कानूनी विवेचना नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है । अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में खातेदारी अधिकार घोषित करने हेतु वाद प्रस्तुत किया था तथा वाद में अपनी प्लीडिंग वर्णित किया था कि रेस्पोउेंट में अपीलांट को नुकसान पहुंचाने के लिए व अनैतिक लाभ कमाने के लिए षड़यंत्र पूर्वक आराजी का विक्रय रेस्पोडेंट नम्बर 8 व 9 को कर दिया है । आराजी पर अपीलांट का कब्जा है । जिसे रेस्पोडेंट बेदखल नहीं करें । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2017 अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 18.09.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित नहीं है । प्रार्थना पत्र पर मूल वाद का निस्तारण जिस प्रकार किया गया है, यह विधि मान्य नहीं है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.06.2017 अपास्त की जाती है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.01.2020 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा